130

FAX

संख्या-3700/1-10-2012(34)/03 टी.सी.1

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शामली।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 19 दिसम्बर, 2013

विषयः वर्ष 2013-14 में जनपद शामली में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु अतिरिक्त धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-1849/जे0ए0, दिनांक 15.12.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद शामली में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित तथा असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए धनावंटन हेतु शासनादेश संख्या-4024/1-10-2010-14(63)/2010, दिनांक 24.12.2010 में दिये गये निर्देशानुसार प्रदेश में शीतलहरी के पूरक ओलावृष्टि, अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम0एच0ए0 पत्र संख्या-32-3/2013-एन0डी0एम0-1, दिनांक 21 जून, 2013 द्वारा जारी भारत सरकार के गाइड लाइन्स के आइटम नं0-3 के प्राविधान Provision for Temporary Accommodation, food, clothing medical care etc. for people affected evacuated, sheltered in relief camps के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु रू0 10,00,000/- (रू0 दस लाख मात्र) श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का व्यय किसी अन्य मदों में कदापित न किया जाये।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि अवशेष बचती है तो उसे शासन को वापस की जायेगी।

2. शासनादेश संख्या–3570 / 1–10–2013–12(34) / 03टी0सी0–1, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 की शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 3700 / 1–10–12(34) / 03टी0सी0–1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार–प्रथम / आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
2– आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
4– वरिष्ठ तकनीकी निदेषक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, शामली।
7– वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5।
8– समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10 / राजस्व अनुभाग–6 / 11।
9– निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।